



2026:AHC:18542

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या- 62 वर्ष 2026

योगेन्द्र सिंह भदौरिया

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: विद्या धर दुबे, विवेक द्विवेदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

सिविल विविध सुधार आवेदन संख्या 2 वर्ष 2026 के संबंध में

1. इस संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 09.01.2026 के आदेश के प्रस्तर 1 की पहली पंक्ति में "विवेक तिवारी" नाम को हटाकर "विवेक द्विवेदी" नाम जोड़ने तथा प्रस्तर 2 की अंतिम से दूसरी पंक्ति में दिनांक "21.07.2025" को हटाकर उसके स्थान पर "09.09.2025" प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. सुधार के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
4. आवश्यक सुधारों को शामिल किया जाए।

27 जनवरी 2026

राजेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।